उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-57/प्र0स0-231/एक-1-2015-5(15)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 23 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं:-

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड़	धौलाना	डासना	शाहपुर फगौता	1206	2.463	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु
				कुल योग	कुल 01 गाटा	2.463 हे0	

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-प्र0सं0-231(1)/एक-1-2015-5(15)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, हापुड़ को उनके पत्र संख्या-762/सात-डीएलआरसी/2013, दिनाँक 31.12.2014 एवं पत्र संख्या-1344/सात-डीएलआरसी/2015, दिनाँक 18.05.2015 के सन्दर्भ में इस आशय

shasnadesh.up.nic.in

के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत भूमि जो राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6-3 जो अकृषिक भू-स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियॉ जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हों "खेल का मैदान" अंकित है। प्रश्नगत भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 से आच्छादित सुरक्षित श्रेणी की भूमि है। उक्त भूमि को ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु अर्थात उसी उपयोग "खेल के मैदान" हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग केवल "खेल के मैदान" के रूप में ही किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जा रही है।

3- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-प्र0स0-213 (2)/ एक-1-2015-5(15)/2015, तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in